



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012

भारतीय मानक ब्यूरो

IS



पत्र सं०- 2343

/स०प्र० गाजि०/

दिनांक- 04/3/17

प्रदेशन पत्र संख्या-1232 दिनांक 1.2.2017 का संशोधित पत्र

सेवा में,

डायरेक्टर

मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डटेक कन्सोर्टियम प्रा०लि०

पता-सी-2, पौंचवा तल, महालक्ष्मी मॉल,

आर०डी०सी० राजनगर, गाजियाबाद उ०प्र०

विषय:- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-14/कॉम-1 के विरुद्ध 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2017 के क्रम में मुख्यालय के आदेश संख्या-205/स०प्र० 3 दिनांक 27.2.2017 द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर शेष धनराशि सब्याज किश्ते करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त आदेशों के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र संख्या-1232 दिनांक 1.2.2017 के अनुसार मांगी गयी धनराशियों का भुगतान निम्नवत् किया जाना है:-

1	निर्गत प्रदेशन पत्र के अनुसार दि० 30.4.2017 एवं 31.7.2017 तक 30 प्रतिशत धनराशि रू०-154297067.00 में से टोकन मनी रू०-50661600.00 घटाने के उपरान्त देय धनराशि जिसे दिनांक 31.3.2017 तक जमा किया जाना है।	रू०-103635467.00
	विविध शुल्क की देय धनराशि दिनांक 31.3.2017 तक जमा किया जाना है।	रू०- 1285442.00
	योग:-	रू०-104920909.00
2	प्रदेशन पत्र के अनुसार आगामी दिनांक 31.10.2017 तक देय 10 प्रतिशत धनराशि	रू०- 51485684.00
3	प्रदेशन पत्र के अनुसार आगामी दिनांक 31.1.2018 तक देय 10 प्रतिशत धनराशि	रू०- 51485684.00

स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू०-25,70,28,400.00 की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्तें देनी होंगी। किश्त की धनराशि रू०-3,41,07,670.00 होगी जोकि दिनांक 1.2.2018 से देय होगी। शेष किश्तें इसी क्रम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी छमाही के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार 13 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण छमाही का भुगतान किया जाना होगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-4, वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद में परिषद के संग्रह खाता संख्या-52331010000030 (सफेद पर्वी) में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपरोक्त देय तिथियों तक (बैंक कार्यदिवस जो पहले हो) में अवश्य जमा करानी होगी। किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 13 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण छमाही का देय होगा। शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत प्रदेशन पत्र संख्या-1232 दिनांक 1.2.2017 के अनुसार पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय

(एस०वी० सिंह)

उप आवास आयुक्त

दिनांक

पृ०सं०

प्रतिलिपि:-

- 1 संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर मेरठ को सूचनार्थ।
- 2 उप आवास आयुक्त, स०प्र० उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को पत्र संख्या-205/स०प्र० 3/1393 /14 / गाजि० /3493 दिनांक 27.2.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों के क्रम में निर्गत प्रदेशन पत्र के अनुसार धनराशियों के भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है, यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता हो तो कृपया यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें।

उप आवास आयुक्त